राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–846/2025

रामलाल सिंह ढाका

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिगं ऑफिसर के पद पर श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि का समय शेष रहा है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 10.07.1966 है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति जुलाई, 2026 में होनी है। ऐसे में अपीलार्थी के अधिवक्ता का अधिकरण के समक्ष किया गया यह तथ्य कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष रहा है, गलत प्रकट

होता है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में पर्याप्त समय शेष है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)